



INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

REET

(मुख्य परीक्षा हेतु)

Level – 2



ॐ सरस्वती मया दृष्ट्वा, वीणा पुस्तक धारणीम।
हंस वाहिनी समायुक्ता मां विद्या दान करोतु मे ॐ॥

भाग – 2

राजस्थान का सामान्य ज्ञान + शैक्षिक परिदृश्य

प्रस्तावना

प्रिय पाठकों, प्रस्तुत नोट्स “राजस्थान 3rd ग्रेड (REET मुख्य परीक्षा लेवल - 2 हेतु) को एक विभिन्न अपने अपने विषयों में निपुण अध्यापकों एवं सहकर्मियों की टीम के द्वारा तैयार किया गया है / ये नोट्स पाठकों को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर (RSMSSB) द्वारा आयोजित करायी जाने वाली परीक्षा “राजस्थान 3rd ग्रेड (REET मुख्य परीक्षा लेवल - 2)” की परीक्षा में पूर्ण संभव मदद करेंगे।

अंततः सतर्क प्रयासों के बावजूद नोट्स में कुछ कमियों तथा त्रुटियों के रहने की संभावना हो सकती है / अतः आप सूचि पाठकों का सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

प्रकाशकः

INFUSION NOTES

जयपुर, 302029 (RAJASTHAN)

मो : 9887809083

ईमेल : contact@infusionnotes.com

वेबसाइट : <http://www.infusionnotes.com>

WhatsApp करें - <https://wa.link/ny6pbb>

Online Order करें - <https://shorturl.at/lIvKO>

मूल्य : ₹

संस्करण : नवीनतम

क्र. सं.	अध्याय	पृष्ठ सं.
<u>राजस्थान का सामान्य ज्ञान</u>		
1.	राजस्थान के प्रतीक चिह्न	1
2.	राजस्थान की विभिन्न फ्लैगशिप योजनाएं • राज्य सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनायें	4
3.	राजस्थान के अनुसंधान केंद्र	16
4.	राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल	19
5.	राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी	21
6.	राजस्थान के प्रसिद्ध नगर एवं स्थल इत्यादि	22
7.	राजस्थान के प्रमुख उद्योग	22
8.	राज्य की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था (परिचय)	25
<u>शैक्षिक परिदृश्य</u>		
1.	शिक्षण अधिगम के नवाचार	70
2.	राजस्थान व केंद्र सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं व पुरस्कार	75
3.	विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित समितियाँ	79
4.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020 (राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में)	84
<u>निः शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम</u>		
1.	निः शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम - 2009 प्रावधान एवं क्रियान्वित	85
2.	राजस्थान निः शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम नियम 2011	89
3.	राजस्थान के निजी विद्यालयों में निशुल्क प्रवेश	93



राजस्थान का सामान्य ज्ञान

अध्याय - 1

राजस्थान के प्रतीक चिह्न

1. राजस्थान राज्य पशु :- चिकारा (वन्य जीव श्रेणी)

- चिकारे को राज्य पशु का दर्जा - 22 मई, 1981
- चिकारे का वैज्ञानिक नाम - गजेल - गजेल
- चिकारा एंटीलोप प्रजाति का जीव है।
- राज्य में सर्वाधिक चिकारे जोधपुर में देखे जा सकते हैं।
- चिकारे को छोटा हिरण के उपनाम से भी जाना जाता है।
- चिकारों के लिए नाहरगढ़ अभयारण्य (जयपुर) प्रसिद्ध है।
- "चिकारा" नाम से राजस्थान में एक तत् वाद्य यंत्र भी है।
- चिकारा श्रीगंगानगर जिले का शुभंकर है।

2. राजस्थान राज्य पशु : ऊँट (CAMEL) (पशुधन श्रेणी)

- 30 जून, 2014 को बीकानेर में हुई कैबिनेट बैठक में ऊँट को राजकीय पशु घोषित किया गया
- ऊँट को राज्य पशु का दर्जा - 19 सितम्बर 2014
- ऊँट वध रोक अधिनियम - दिसम्बर 2014
- ऊँट का वैज्ञानिक नाम "कैमेलस डोमेस्टिकस" है।
- ऊँट को स्थानीय भाषा में रेगिस्तान का जहाज या मरुस्थल का जहाज (कर्नल जेम्स टॉड ने कहा) के नाम से जाना जाता है।
- 20 वीं पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान ऊँट के मामले में 2012 के 3.26 मिलियन की तुलना में 2019 में 2.13 मिलियन पशुओं के साथ पहले स्थान पर है। ऊँटों की संख्या में 34.69% की कमी हुई है।
- ऊँटों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में एकाधिकार है
- राजस्थान की कुल पशु सम्पदा ऊँट सम्पदा का प्रतिशत 0.56 प्रतिशत है।
- राज्य में जैसलमेर सर्वाधिक ऊँटों वाला जिला है।
- प्रतापगढ़ सबसे कम ऊँटों वाला जिला है।
- ऊँट अनुसंधान केन्द्र जोड़बीड (बीकानेर) में स्थित है। ऊँट प्रजनन का कार्य भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा संचालित किया जा रहा है।
- कैमल मिल्क डेयरी बीकानेर में स्थित है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय में अक्टूबर 2000 में ऊँटनी के दूध को मानव जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया। ऊँटनी के दूध में कैल्शियम मुक्त अवस्था में पाए जाने के कारण इसके दूध का दही नहीं जमता है।
- ऊँटनी का दूध मधुमेह (डायबिटीज) की रामबाण औषधि के साथ-साथ यकृत व प्लीहा रोग में भी उपयोगी है।
- भारतीय सेना के नौजवान थार मरुस्थल में नाचना ऊँट का उपयोग करते हैं।
- जैसलमेर के नाचना का ऊँट सुंदरता की दृष्टि से प्रसिद्ध है।
- गोमठ-फलोदी का ऊँट सवारी की दृष्टि से प्रसिद्ध है।

- बीकानेरी ऊँट सबसे भारी नस्ल का ऊँट है। इसलिए बीकानेरी ऊँट बोझा ढोने की दृष्टि से प्रसिद्ध है। राज्य में लगभग 50% इसी नस्ल के ऊँट पाले जाते हैं।
- ऊँटों के देवता के रूप में पाबूजी को पूजा जाता है। ऊँटों के बीमार होने पर रात्रिकाल में पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। राजस्थान में ऊँटों को लाने का श्रेय भी पाबूजी को है।
- ऊँटों के गले का आभूषण गोरबंद कहलाता है
- ऊँटों में पाया जाने वाला रोग सर्पा रोग है। प्रदेश में ऊँटों की संख्या में गिरावट का मुख्य कारण सर्पा रोग है। इस रोग पर नियंत्रण के उद्देश्य से वर्ष 2010-11 में ऊँटों में सर्पा रोग नियंत्रण योजना प्रारम्भ की गई।
- ऊँटों का पालन-पोषण करने वाली जाति राईका अथवा रेबारी है।
- ऊँटों की चमड़ी पर की जाने वाली कला उस्ता कला कहलाती है।
- उस्ता कला को मुनवती या मुनावती कला के नाम से भी जाना जाता है उस्ता कला मूलतः लाहौर की है।
- उस्ता कला को राजस्थान में बीकानेर के शासक अनूपसिंह के द्वारा लाया गया।
- अनूपसिंह का काल उस्ता कला का स्वर्णकाल कहलाता है। उस्ता कला के कलाकार उस्ताद कहलाते हैं।
- उस्ताद मुख्यतः बीकानेर और उसके आस-पास के क्षेत्रों के रहने वाले हैं। उस्ता कला का प्रसिद्ध कलाकार हिस्सामुद्दीन उस्ता को माना जाता है, जो कि बीकानेर का मूल निवासी थे।
- उस्ता कला का वर्तमान में प्रसिद्ध कलाकार मोहम्मद हनीफ उस्ता हैं उस्ता कला के एक अन्य कलाकार इलाही बख्स ने महाराजा गंगासिंह का उस्ता कला में चित्र बनाया, जो कि यू.एन.ओ. के कार्यालय में रखा हुआ है।
- महाराजा गंगासिंह ने चीन में ऊँटों की एक सेना भेजी जिसे गंगा रिसाला के नाम से जाना जाता है।
- पानी को ठण्डा रखने के लिए ऊँटों की खाल से बने बर्तन को कॉपी के नाम से जाना जाता है।
- सर्दी से बचने के लिए ऊँटों के बालों से बने वस्त्र को बाखला के नाम से जाना जाता है।
- ऊँट पर कसी जाने वाली काठी को कूंची या पिलाण के नाम से जाना जाता है। ऊँटों की नाक में पहनाई जाने वाली लकड़ी की कील गिरबाण कहलाती है।
- ऊँट की पीठ पर कुबड़ होता है। कुबड़ में एकत्रित वसा इसकी ऊर्जा का स्रोत है।
- ऊँट व ऊँट पालकों के लिए वर्ष 2008-09 में भारतीय जीवन बीमा निगम तथा जनरल इंश्योरेंस कम्पनी के सहयोग से "ऊँट एवं ऊँट पालक बीमा योजना" लागू की गई।
- ऊँट का पहनावा - पीठ पर काठी, गर्दन पर गोरबन्द, टाँगों पर मोड़िया, मुख पर मोरखा, पूँछ पर पर्चनी, गद्दी मेलखुरी।
- ऊँटों की प्रमुख नस्लें - बीकानेरी, जैसलमेर, मारवाड़ी, अलवरी, सिंधी, कच्छी, केसपाल, गुराह

3. राजस्थान राज्य पक्षी : गोडावण

- गोडावण को राज्य पक्षी का दर्जा - 21 मई, 1981
- गोडावण का वैज्ञानिक नाम - *क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स*
- गोडावण को अंग्रेजी में **ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड** कहा जाता है।
- गोडावण को स्थानीय भाषा में **सोहन चिड़िया या शमीला पक्षी** कहा जाता है।
- इसे हाड़ौती क्षेत्र (सोरसेन) में "मालमोरड़ी" कहा जाता है।
- गोडावण के अन्य उपनाम-सारंग, हुकना, तुकदर, बड़ा तिलोर व गुधनमेर हैं।

राजस्थान में गोडावण सर्वाधिक तीन क्षेत्रों में पाया जाता है-

- सोरसन (बारां)
- सोंकलिया (अजमेर)
- मरुघान (जैसलमेर, बाड़मेर)
- गोडावण के प्रजनन हेतु **जोधपुर जंतुआलय** प्रसिद्ध है।
- गोडावण का प्रजनन काल अक्टूबर, नवम्बर का महिना माना जाता है।
- गोडावण मूलतः **अफ्रीका का पक्षी है।**
- इसका ऊपरी भाग नीला दिखाई देता है।
- गोडावण शतुरमुर्ग की तरह दिखाई देता है।
- प्रिय भोजन - मूंगफली व तारामीरा
- गोडावण राजस्थान के अलावा गुजरात में भी देखा जा सकता है।
- 2011 में की **IUCN (International Union for Conservation of Nature)** की रेड डाटा लिस्ट में इसे **Critically Endangered (संकटग्रस्त प्रजाति)** प्रजाति माना गया है गोडावण पक्षी विलुप्ति की कगार पर है
- गोडावण के संरक्षण हेतु राज्य सरकार ने विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2013 को राष्ट्रीय मरु उद्यान, जैसलमेर में **प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड** प्रारम्भ किया।
- 1980 में जयपुर में गोडावण पर पहला अंतराष्ट्रीय सम्मलेन आयोजित किया गया।
- गोडावण जैसलमेर का शुभंकर है।

4. राजस्थान राज्य पुष्प : रोहिड़ा

- रोहिड़े को राज्य पुष्प का दर्जा - 1983
- रोहिड़े का वैज्ञानिक नाम - *टिकोमेला अन्डूलेटा*
- रोहिड़े के पुष्प मार्च, अप्रैल में खिलते हैं। इसके पुष्प का रंग गहरा केसरिया हिरमीच पीला होता है।
- इसको **राजस्थान का सागवान तथा मरुशोभा** कहा जाता है।
- जोधपुर में रोहिड़े के पुष्प को **मारवाड़ टीक** कहा जाता है।
- रोहिड़े को जरविल नामक रेगिस्तानी चूहा नुकसान पहुंचा रहा है।
- रोहिड़ा पश्चिमी क्षेत्र में सर्वाधिक देखने को मिलता है।

5. राजस्थान राज्य वृक्ष : खेजड़ी

- खेजड़ी राज्य वृक्ष का दर्जा - 31 अक्टूबर, 1983

- 5 जून 1988 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर खेजड़ी वृक्ष पर **60 पैसे का डाक टिकट** जारी किया गया।
- खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम :- **प्रोसेपिस सिनरेरिया**
- खेजड़ी को **राजस्थान का कल्प वृक्ष, थार का कल्प वृक्ष, रेगिस्तान का गौरव** आदि नामों से जाना जाता है।
- खेजड़ी को **Wonder Tree व भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष** भी कहा जाता है।
- खेजड़ी के सर्वाधिक वृक्ष शेखावाटी क्षेत्र में देखे जा सकते हैं। खेजड़ी के सर्वाधिक वृक्ष **नागौर जिले में देखे जाते हैं।** यह राज्य में वन क्षेत्र के 2/3 भाग में पाया जाता है
- खेजड़ी के वृक्ष की पूजा **विजय दशमी / दशहरे (आश्विन शुक्ल -दशमी)** के अवसर पर की जाती है।
- खेजड़ी के वृक्ष के नीचे **गोगा जी व झुंझार बाबा के मंदिर** बने होते हैं।
- खेजड़ी को **हरियाणवी व पंजाबी भाषा में जांटी** के नाम से जाना जाता है। खेजड़ी को **तमिल भाषा में पेयमेय** के नाम से जाना जाता है। खेजड़ी को **कन्नड़ भाषा में बन्ना-बन्नी** के नाम से जाना जाता है। खेजड़ी को **सिंधी भाषा में छोकड़ा** के नाम से जाना जाता है। खेजड़ी को **बंगाली भाषा में शाईगाछ** के नाम से जाना जाता है।
- खेजड़ी को **बिश्नोई संप्रदाय में शमी** के नाम से जाना जाता है।
- खेजड़ी को **स्थानीय भाषा में सीमलो** कहा जाता है। खेजड़ी की हरी फलियां सांगरी (फल गर्मी में लगते हैं) कहलाती हैं तथा पुष्प मीझर कहलाता है। खेजड़ी की सूखी फलियां खोखा कहलाती हैं। खेजड़ी की पत्तियों से बना चारा लूम/लूंग कहलाता है।
- वैज्ञानिकों ने खेजड़ी के वृक्ष की आयु पांच हजार वर्ष बताई है। राज्य में सर्वाधिक प्राचीन खेजड़ी के दो वृक्ष एक हजार वर्ष पुराने मांगलियावास गांव (अजमेर) में हैं। मांगलियावास गांव में हरियाली अमावस्या (श्रावण) को वृक्ष मेला लगता है।
- खेजड़ी के वृक्ष को सेलेस्ट्रेना व ग्लाइकोट्रमा नामक कीड़े नुकसान पहुंचा रहे हैं।
- माटो :-** बीकानेर के शासकों द्वारा प्रतीक चिह्न के रूप रूपये में खेजड़ी के वृक्ष को अंकित करवाया।
- ऑपरेशन खेजड़ा नमक अभियान 1991** में चलाया गया।
- वन्य जीवों के रक्षा के लिए राज्य में **सर्वप्रथम बलिदान 1604 में जोधपुर के रामसडी गांव में करमा व गौरा** के द्वारा दिया गया
- वन्य जीवों की रक्षा के लिए राज्य में **दूसरा बलिदान 1700 में नागौर के मेड़ता परगना के पोलावास गांव में बूचो जी** के द्वारा दिया गया
- खेजड़ी के लिए प्रथम बलिदान अमृता देवी बिश्नोई ने 1730 में 363 लोगों के साथ जोधपुर के खेजड़ली ग्राम या गुढा बिश्नोई गांव में भाद्रपद शुक्ल दशमी को दिया।
- भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी को तेजादशमी के रूप में मनाया जाता है।

- भाद्रपद शुक्ल दशमी को विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ली गांव में लगता है। बिश्नोई सम्प्रदाय के द्वारा दिया गया यह बलिदान साका या खड़ाना कहलाता है।
- खेजड़ली बलिदान के समय जोधपुर का राजा अभयसिंह था। अभयसिंह के आदेश पर गिरधर दास के द्वारा 363 लोगों की हत्या की गई।
- खेजड़ली दिवस प्रतिवर्ष वर्ष 12 सितंबर को मनाया जाता है। प्रथम खेजड़ली दिवस 12 सितम्बर, 1978 को मनाया गया।
- अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार की शुरुआत 1994 में की गई। खेजड़ली आंदोलन चिपको आंदोलन का प्रेरणा स्रोत रहा है। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए दिये जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार है। यह प्रथम पुरस्कार गंगाराम बिश्नोई (जोधपुर) को दिया गया। अमृतादेवी मृग वन खेजड़ली गाँव (जोधपुर ग्रामीण) स्थित है।

6. राजस्थान राज्य खेल: बास्केटबाल

- बास्केटबाल को राज्य खेल का दर्जा :- 1948
- खिलाड़ियों की संख्या :- 5
- बास्केटबाल अकादमी जैसलमेर में स्थित है।
- महिला बास्केट बाल अकादमी जयपुर में स्थित है।

7. राजस्थान राज्य गीत : केसरिया बालम

- इस गीत को सर्वप्रथम उदयपुर की मांगी बाई के द्वारा गाया गया।
- इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने का श्रेय बीकानेर की अल्लाजिल्ला बाई को है।
- अल्लाजिल्ला बाई को राजस्थान की मरू कोकिला कहा जाता है।
- यह गीत माण्ड गायिकी शैली में गाया जाता है।
- माण्ड गायिकाओं के नाम - स्व हाजन अल्ला-जिल्ला बाई (बीकानेर), स्व. गवरी देवी (बीकानेर), मांगी बाई (उदयपुर), गवरी देवी (पाली)

8. राजस्थान राज्य का शास्त्रीय नृत्य : कथक

- कथक उत्तरी भारत का प्रमुख नृत्य है।
- दक्षिणी भारत का प्रमुख नृत्य भरतनाट्यम है।
- कथक का भारत में प्रमुख घराना - लखनऊ
- कथक का राजस्थान में प्रमुख घराना - जयपुर
- कथक के जन्मदाता भानूजी महाराज को माना जाता है

9. राजस्थान राज्य की राजधानी 'जयपुर'

- जयपुर को राजधानी 30 मार्च 1949 को बनाया गया।
- जयपुर को राजधानी श्री पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर बनाया गया।
- स्थापना - सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा, 18 नवम्बर 1727
- वास्तुकार - विद्याधर भट्टाचार्य
- जयपुर के निर्माण के बारे में बुद्धि विलास नामक ग्रंथ से जानकारी मिलती है।

- जयपुर का निर्माण जर्मनी के शहर द एल्ट स्टड एर्लंग के आधार पर करवाया गया है।
- जयपुर का निर्माण चौपड़ पैटर्न के आधार पर किया गया है।
- जयपुर को गुलाबी रंग में रंगवाने का श्रेय रामसिंह द्वितीय को है।

10. राजस्थान राज्य लोक नृत्य : घूमर

- घूमर को राज्य की आत्मा के उपनाम से जाना जाता है।
- घूमर के तीन रूप हैं
- झूमरिया - बालिकाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य
- लूर - गरसिया जनजाति की स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य
- घूमर - इसमें सभी स्त्रियां भाग लेती हैं

अध्याय - 4

राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल

राजस्थान के प्रमुख मंदिर

किराडू के मंदिर :

- बाइमेर के हाथमा गांव के निकट एक पहाड़ी के नीचे किराडू में भगवान विष्णु व शिव मंदिर स्थित हैं।
- किराडू का पुराना नाम किरात कूप है जो परमार राजाओं की राजधानी थी।
- मुख्य मंदिर : सोमेश्वर
- किराडू के मंदिरों को राजस्थान का खजुराहों कहते हैं। किराडू की स्थापत्य कला नागर शैली की है।

सूर्य मंदिर :

- झालरापाटन (झालावाड़) के समीप।
- इसे सात सहेलियों का मंदिर कहते हैं।
- कर्नल जेम्स टॉड ने इसे चारभुजा मंदिर भी कहा है।
- इसे पद्मनाभ मंदिर भी कहते हैं।
- यह मंदिर 10वीं शताब्दी में निर्मित हुआ।

अर्थुना के मंदिर :

- बांसवाड़ा
- अर्थुना भी परमारों की राजधानी थी।
- मुख्य मंदिर : हनुमान जी का मंदिर।
- 11वीं एवं 12वीं शताब्दी के बने हुए हैं।
- इन्हें 'वागड़ का खजुराहों' कहते हैं।

रणकपुर के जैन मंदिर :

पाली

- कुम्भा के समय रणकशाह द्वारा निर्मित।
- मुख्य मंदिर : चौमुख मंदिर (वास्तुकार : देपाक)
- इस मंदिर में 1444 खम्भे हैं अतः इसे खम्भों का अजायबघर कहते हैं।
- इस मंदिर के पास ही नेमिनाथ मंदिर है, जिसे वेश्याओं का मंदिर भी कहते हैं।

देलवाड़ा के जैन मंदिर :

सिरोही

- विमल वासाही मंदिर : इसका निर्माण 1031 ई. में भीमशाह (गुजरात के चालुक्य राजा का मंत्री) ने करवाया था।
- नेमीनाथ मंदिर : चालुक्य राजा धवल के मंत्री तेजपाल एवं वास्तुपाल ने इसका निर्माण करवाया था। इसे देवराणी जेठानी का मंदिर भी कहते हैं।

पुष्कर के मंदिर :

- यहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर बना हुआ है जिसका निर्माण गोकुलचंद पारीक ने करवाया।
- यहाँ कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है।
- यहाँ सावित्री माता का मंदिर भी है।
- यहाँ रंगनाथ मंदिर भी बना हुआ है जो द्रविड़ शैली का पुष्कर को कोंकण तीर्थ भी कहा जाता है।

- ब्रह्मा जी के अन्य मंदिर : आसोतरा (बालोतरा), छीछ (बांसवाड़ा)

एकलिंगनाथजी के मंदिर :

- कैलाशपुरी (उदयपुर) नागदा के समीप।
- 18वीं सदी में बप्पा रावल ने इसका निर्माण करवाया था।

सहस्रबाहु का मंदिर :

- नागदा (उदयपुर)
- इसे सास-बहु का मंदिर भी कहते हैं।
- नौ ग्रहों का मंदिर : किशनगढ़ (अजमेर)
- सांवलिया जी का मंदिर : मंडफिया (चित्तौड़गढ़), इसे चोरो का मंदिर भी कहते हैं।

कपिल मुनि का मंदिर :

- कोलायत (बीकानेर), कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है।
- कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रणेता थे।

अम्बिका माता का मंदिर :

- जगत (उदयपुर)
- इसे मेवाड़ का खजुराहों कहते हैं।
- इसे राजस्थान का मिनी खजुराहों कहते हैं।

कंसुआ मंदिर :

- कोटा, मौर्य राजा धवल ने शिव मंदिर बनवाया था, जिसमें 1000 शिवलिंग हैं।
- यहाँ गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर भी है, जिसके दर्शन नहीं किये जाते हैं।

शीतलेश्वर महादेव :

- कर्नल जेम्स टॉड ने झालरापाटन (झालावाड़) को घटियों का शहर कहा था।
- इसका निर्माण 689 ई. पू. में हुआ था।
- यह राजस्थान का प्राचीनतम तिथि युक्त मंदिर है।
- इसका मूल नाम चन्द्रमौली मंदिर था।

महामंदिर :

- जोधपुर, राजा मानसिंह द्वारा निर्मित।
- नाथ सम्प्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर सिरे मंदिर : जालौर (जोधपुर के राजा मानसिंह ने इसका निर्माण करवाया था)।

भांडाशाह जैन मंदिर :

- बीकानेर, यह 5वें जैन तीर्थंकर शुमतिनाथ का मंदिर है।
- इसके निर्माण में पानी की जगह घी का उपयोग किया गया था।
- सतवीस मंदिर : चित्तौड़गढ़, 11वीं शताब्दी के जैन मंदिर।
- थंडदेवरा मंदिर : अटस (बारां) इसे हाड़ौती का खजुराहों कहते हैं, तथा राजस्थान का मिनी खजुराहों कहते हैं।
- फुलदेवरा मंदिर : बारां, इसे मामा-भांजा मंदिर भी कहते हैं।
- सोनी जी की नसियां : अजमेर, इसे लाल मंदिर भी कहते हैं। 1864 ई. में मूलचन्द सोनी ने इसका निर्माण करवाया।
- खड़े गणेश का मंदिर : कोटा

- बाजणा गणेश का मंदिर : सिरोंही
- सारणेश्वर महादेव मंदिर : सिरोंही
- नाचणा गणेश का मंदिर : अलवर
- त्रिनेत्र का मंदिर : रणथम्भौर
- हेरम्ब गणपति : बीकानेर (जूनागढ़ किले में)
- रावण मंदिर : मण्डौर (जोधपुर), श्रीमाली ब्राह्मण पूजा करते हैं।
- विभीषण मंदिर : कैथून (कोटा)
- खोड़ा गणेश : अजमेर
- रोकड़िया गणेश : जैसलमेर
- सालासर बालाजी : चुरू, बालाजी के दाढ़ी मुँछ हैं।
- 72 जिनालय : भीनमाल (जालौर)
- मेंहन्दीपुर बालाजी मंदिर : दौसा
- पावापुरी जैन मंदिर : सिरोंही
- नारेली के जैन मंदिर : अजमेर
- बालापीर : नागौर (कुम्हारी) यहाँ खिलौने चढ़ाये जाते हैं।
- मुछाला महावीर : घाघेराव (पाली)
- 33 करोड़ देवी-देवताओं का मंदिर : बीकानेर (जूनागढ़)
- 33 करोड़ देवी-देवताओं की साल : मण्डौर (अभयसिंह द्वारा निर्मित)
- नीलकण्ठ महादेव मंदिर : अलवर, अजयपाल द्वारा निर्मित
- मालासी भैरवी का मंदिर : मालासी (चुरू), यहाँ भैरु जी की उल्टी मूर्ति लगी है।
- खाटूश्यामजी का मंदिर : खाटू (सीकर), बर्बरीक का मंदिर
- कल्याणजी का मंदिर : डिगगी (टोंक)
- अन्य मंदिर :**
- ऋषभदेवजी का मंदिर : उदयपुर, पूरे देश में एकमात्र यहीं ऐसा मंदिर है जहाँ सभी सम्प्रदाय एवं जाति (श्वेताम्बर, दिगम्बर, जैन, शैव, वैष्णव, भील) के लोग आते हैं।
- सिरयारी मंदिर : पाली, जैन श्वेताम्बर तेरापंथ के प्रथम आचार्य श्री भिक्षु की निर्वाण स्थली।
- मुकन्दरा का शिव मंदिर : कोटा, राजस्थान का एकमात्र गुप्तकालीन मंदिर।
- स्वर्ण मंदिर : पाली, जिसे 'Gateway of Golden and Mini Mumbai' के नाम से जाना जाता है।
- सुंधा माता का मंदिर : जालौर, राजस्थान का प्रथम रोप-वे बनाया गया है।
- नागर शैली (गुर्जर प्रतिहार) का अंतिम एवं सबसे भव्य मंदिर : सोमेश्वर (किराड़) मंदिर
- ओसियां का हरिहर मंदिर (जोधपुर ग्रामीण) : पंचायतन शैली का प्रथम उदाहरण राजस्थान में।
- नाकोड़ा भैरव जी : बालोतरा
- राजस्थान की मस्जिदें एवं मजारें**
- ईदगाह मस्जिद : जयपुर

- मलिकशाह की दरगाह : जालौर
- मीठेशाह की दरगाह : गागरौण
- गुलाब खां का मकबरा : जोधपुर
- गुलाब कलन्दर का मकबरा : जोधपुर
- गमता गाजी मीनार : जोधपुर
- भूरेखा की मजार : मेहरानगढ़ (जोधपुर)
- इकमीनार : जोधपुर
- सफदरजंग की दरगाह : अलवर
- अलाउद्दीन आलमशाह की दरगाह : तिजारा (खैरथल-तिजारा)
- बीबी जरीना का मकबरा : धौलपुर
- नेहर खाँ की मीनार : कोटा
- सैय्यद बादशाह की दरगाह : शिवगंज (सिरोंही)
- जामा मस्जिद : शाहबाद (बारां)
- काकाजी पीर की दरगाह : प्रतापगढ़
- मस्तान बाबा की दरगाह : सोजत (पाली)
- रजिया सुल्तान का मकबरा : टोंक
- गूलर कालूदान की मीनार : जोधपुर
- तन्हा पीर की दरगाह : मण्डौर
- कबीर शाह की दरगाह : करौली
- कमरुद्दीन शाह की दरगाह : झुंझुनू
- पीर अब्दुल्ला की दरगाह : बांसवाड़ा
- दीवान शाह की दरगाह : कपासन (चित्तौड़गढ़)
- हजरत शक्कर बाबा की दरगाह : नरहड़ (झुंझुनू) इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है।
- सैय्यद फखरुद्दीन शाह की दरगाह : गलियाकोटा (डूंगरपुर)
- पंजाब शाह की दरगाह : अजमेर
- मर्दाना शाह पीर की दरगाह : रणथम्भौर
- फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह : सरवाड़ (अजमेर)
- नालिसर मस्जिद : सांभर (जयपुर ग्रामीण)
- इमली वाले बाबा की दरगाह : ताला (जयपुर)
- लैला मजनूँ की मजार : रायसिंह नगर (अनूपगढ़)
- बाबा दौलत शाह की दरगाह : चौमूं (जयपुर ग्रामीण)
- दुल्हे शाह की दरगाह : पाली
- पीर निजामुद्दीन की दरगाह : फतेहपुर (सीकर)

• मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद्

- मुख्यमंत्री किसी राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। वह राज्य विधानसभा का नेता होता है। राज्य की सर्वोच्च कार्यपालिका शक्ति मुख्यमंत्री के हाथों में है। वह राज्य का वास्तविक शासक/तथ्यत प्रमुख / डी-फैक्टो हेड होता है।
- मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा संविधान के **अनुच्छेद 164 (1)** के तहत की जाती है।
- सामान्यतः, राज्यपाल बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। लेकिन यदि चुनावों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है, उस स्थिति में राज्यपाल स्वविवेक से मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। उसे एक माह के भीतर सदन में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कहता है। राज्यपाल स्वविवेक द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति ऐसे समय पर करता है जब कार्यकाल के दौरान किसी मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाए और कोई उत्तराधिकारी तय नहीं हो या चुनावों में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ हो।

NOTE- केन्द्र शासित प्रदेशों में (जहाँ विधानसभा है) मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति, राष्ट्रपति करता है। वर्तमान में भारत के तीन केन्द्र शासित प्रदेशों क्रमशः पुदुच्चेरी, दिल्ली और जम्मू- कश्मीर में विधानसभाओं का प्रावधान है।

- अनुच्छेद 164 (3)** मुख्यमंत्री व मंत्रियों को शपथ राज्यपाल दिलाता है। राज्य का मुख्यमंत्री कार्यग्रहण से पूर्व राज्यपाल के समक्ष पद व गोपनीयता की शपथ ग्रहण करता है। मुख्यमंत्री व मंत्रियों की शपथ का प्रारूप **भारतीय संविधान की अनुसूची 3** में मिलता है।

अनुच्छेद 164 (4) मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों की योग्यता भारतीय संविधान में मुख्यमंत्री पद के लिए योग्यताएँ आवश्यक हैं जो एक मंत्री पद के लिए होती हैं। जैसे— (1) न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो। (2) राज्य विधानमण्डल के दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य हो।

NOTE- यदि मुख्यमंत्री विधानमण्डल के किसी भी सदन का सदस्य न भी हो तो 6 माह तक मुख्यमंत्री रह सकता है। 6 माह के भीतर उसे विधानमण्डल के किसी एक सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है अन्यथा त्यागपत्र देना पड़ता है। मुख्यमंत्री सामान्यतः विधानमण्डल के निम्न सदन (विधान सभा) का सदस्य होता है, लेकिन उच्च सदन (विधान परिषद्) के सदस्य को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है यदि उस राज्य में द्विसदनात्मक विधान मण्डल है तो।

NOTE- यदि मुख्यमंत्री विधानपरिषद् का सदस्य है तो वह (i) राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता। (ii) वह अविश्वास प्रस्ताव पर वोट नहीं कर सकता है क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में लाया जाता है।

- अनुच्छेद 164 (5)** मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों व कार्यकाल

मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमण्डल द्वारा किया जाता है। वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री को 75,000 रु प्रतिमाह वेतन मिलता है। (1 अप्रैल, 2019 के बाद) स्मरणीय तथ्य : मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, परन्तु वह राज्यपाल के प्रसादपर्यंत अपने पद पर बना रहता है। अर्थात् जब तक कि उसका विधानसभा में बहुमत है। लेकिन यदि मुख्यमंत्री विधानसभा में अपना बहुमत खो देता है तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए अन्यथा राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकता है। मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देता है। और मुख्यमंत्री का त्यागपत्र समस्त मंत्रिपरिषद् का त्यागपत्र माना जाता है।

अनुच्छेद 164 (2) - राज्य की मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।

मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ

मंत्रिपरिषद् के संबंध में

- मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है।
 - मुख्यमंत्री, मंत्रियों के मध्य विभागों का बंटवारा करता है और उनमें फेरबदल भी करता है। मतभेद होने पर वह किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है या राज्यपाल को उसे बर्खास्त करने का परामर्श दे सकता है।
 - मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद् एवं मंत्रिमण्डल की बैठकों की अध्यक्षता करता है।
- NOTE-** मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में सबसे वरिष्ठ मंत्री मंत्रिमण्डल की अध्यक्षता करता है।
- वह सभी मंत्रियों को उनके कार्यों में परामर्श देता है तथा उनके कार्यों पर नियंत्रण भी रखता है।
 - मुख्यमंत्री, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद् के बीच की कड़ी के रूप में कार्य करता है।

अनुच्छेद 164 (1) क - इस अनुच्छेद को 91 वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया। इसमें राज्य मंत्रिपरिषद् का आकार निश्चित किया गया। राज्य मंत्रिपरिषद् में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्री उस राज्य की कुल विधानसभा सीटों का 15 % तथा मुख्यमंत्री सहित न्यूनतम मंत्री 12 होंगे।

राज्यपाल के संदर्भ में

अनुच्छेद 167- इसमें मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है।

- वह मंत्रिपरिषद् द्वारा राज्य के प्रशासन से संबंधित मामलों के लिए सभी निर्णयों तथा विधायन के प्रस्तावों के बारे में राज्यपाल को सूचित करें।
- राज्यपाल द्वारा राज्य के प्रशासन से संबंधित मामलों अथवा विधायन प्रस्तावों के बारे में माँग जाने पर सूचना प्रदान करना।
- यदि राज्यपाल चाहे तो मंत्रिपरिषद् के समक्ष किसी ऐसे मामले को विचारार्थ रखे जिस पर निर्णय तो किसी मंत्री

- राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो उपराष्ट्रपति भी बने।
- राजस्थान में तीसरा (वर्ष 1980) व चौथा (वर्ष 1992) राष्ट्रपति शासन इन्हीं के समय लगा।
- यह मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी मंत्रिपरिषद् में मंत्री नहीं रहे।
- यह तीन बार राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे।

वसुन्धरा राजे

- वसुन्धरा राजे 8 दिसम्बर, 2003 को राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी।
- इसके बाद 13 दिसम्बर, 2013 को उन्हें दूसरी बार प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला।
- यह दो बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रही यह पांच बार विधायक व 5 बार लोकसभा सांसद बनी।
- श्रीमती वसुन्धरा राजे राजस्थान से सर्वाधिक बार लोकसभा सांसद बनने वाली महिला हैं।
- वसुन्धरा राजे राजस्थान विधानसभा में विपक्ष की नेता भी रही हैं।

अशोक गहलोत

- 1 दिसम्बर, 1998 को राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली।
- 13 दिसम्बर, 2008 को उन्हें दूसरी बार राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला।
- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पद के अनुसार 22वें तथा व्यक्ति के अनुसार 11वें निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। यदि मनोनीत को भी शामिल करें तो पद के अनुसार 25वें तथा व्यक्ति के अनुसार 13वें मुख्यमंत्री थे।
- यह वर्तमान में जोधपुर की सरदारपुरा सीट से निर्वाचित हुए।
- अशोक गहलोत के कार्यकाल में दो उप-मुख्यमंत्री रहे (1) बनवारी लाल बैरवा (2) कमला बेनीवाल

भजनलाल शर्मा

- भजन लाल शर्मा (जन्म 15 दिसंबर 1967) वर्तमान में दिसंबर 2023 से राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं।
- वह 16वीं राजस्थान विधान सभा के सदस्य हैं और सांगानेर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- भजन लाल शर्मा ने 15 दिसंबर 2023 को राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, साथ में दो उपमुख्यमंत्री के रूप में दीया कुमारी और डॉ. प्रेम चंद बैरवा ने भी शपथ ली।

उपमुख्यमंत्री

यह एक गैर - संवैधानिक पद है। यह एक परम्परा के तौर पर किसी राजनीतिक दल को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से सृजित किया जाता है।

उपमुख्यमंत्री	मुख्यमंत्री	वर्ष
टीकाराम पालीवाल	जयनारायण व्यास	1952-1954
हरिशंकर भाभड़ा	भैरोसिंह शेखावत	1994-1998
बनवारी लाल बैरवा	अशोक गहलोत	2003
कमला बेनीवाल	अशोक गहलोत	2003
सचिन पायलट	अशोक गहलोत	2018
प्रेम चंद बैरवा	भजन लाल	2023
दीया कुमारी	भजन लाल	2023

NOTE- राजस्थान के तीन ऐसे मुख्यमंत्री जो विपक्ष / प्रतिपक्ष के नेता भी रहे :- (1) भैरोसिंह शेखावत (तीन बार) (2) हरिदेव जोशी (एक बार) (3) वसुंधरा राजे (एक बार)

राजस्थान के मुख्यमंत्री

क्र.सं.	मुख्यमंत्री	कार्यकाल
1.	श्री हीरालाल शास्त्री	07.04.1949 - 05.01.1951
2.	श्री सी.एस. वैकटाचार्य	06.01.1951 - 25.04.1951
3.	श्री जयनारायण व्यास	26.04.1951 - 03.03.1952
4.	श्री टीकाराम पालीवाल	03.03.1952 - 31.10.1952
5.	श्री जयनारायणव्यास	01.11.1952 - 12.11.1954
6.	श्री मोहनलाल सुखाड़िया	13.11.1954 - 11.04.1957
7.	श्री मोहनलाल सुखाड़िया	11.04.1957 - 11.03.1962
8.	श्री मोहनलाल सुखाड़िया	12.03.1962 - 13.03.1967
9.	राष्ट्रपति शासन	13.03.1967 - 26.04.1967
10.	श्री मोहनलाल सुखाड़िया	26.04.1967 - 09.07.1971

11.	श्री बरकतुल्लाखां	09.07.1971- 11.10.1973
12.	श्री हरि देव जोशी	11.10.1973 - 29.04.1977
13.	राष्ट्रपति शासन	30.04.1977- 21.06.1977
14.	श्री भैरोंसिंह शेखावत	22.06.1977 - 16.02.1980
15.	राष्ट्रपति शासन	17.02.1980 - 05.06.1980
16.	श्री जगन्नाथ पहाडिया	06.06.1980- 13.07.1981
17.	श्री शिवचरण माथुर	14.07.1981- 23.02.1985
18.	श्री हीरालाल देवपुरा	23.02.1985 - 10.03.1985
19.	श्री हरि देव जोशी	10.03.1985 - 20.01.1988
20.	श्री शिव चरण माथुर	20.01.1988- 04.12.1989
21.	श्री हरि देव जोशी	04.12.1989- 04.03.1990
22.	श्री भैरों सिंह शेखावत	04.03.1990 - 15.12.1992
23.	राष्ट्रपति शासन	15.12.1992 - 03.12.1993
24.	श्री भैरोंसिंह शेखावत	04.12.1993 - 01.12.1998
25.	श्री अशोक गहलोत	01.12.1998 - 08.12.2003
26.	श्रीमती वसुन्धरा राजे	08.12.2003- 13.12.2008
27.	श्री अशोक गहलोत	13.12.2008 - 13.12.2013
28.	श्रीमती वसुन्धरा राजे	13.12.2013 - 17.12.2018

29.	श्री अशोक गहलोत	17.12.2018 से 15.12.2023
30.	श्री भजनलाल शर्मा	15.12.2023 से लगातार

महत्वपूर्ण तथ्य -

- राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री- **हीरालाल शास्त्री**
- राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री- **टीकाराम पालीवाल**
- राजस्थान के प्रथम उपमुख्यमंत्री- **टीकाराम पालीवाल**
- एकमात्र व्यक्ति जो राजस्थान के मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री दोनों पदों पर रहे- **टीकाराम पालीवाल**
- राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो कि मनोनीत व निर्वाचित हुए- **जयनारायण व्यास**
- राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री- **मोहनलाल सुखाड़िया**
- राजस्थान में न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री- **हीरालाल देवपुरा**
- राजस्थान के सबसे युवा मुख्यमंत्री- **मोहनलाल सुखाड़िया**
- राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई- **बरकतुल्ला खां**
- राजस्थान के प्रथम मुस्लिम (अल्पसंख्यक) मुख्यमंत्री- **बरकतुल्ला खां**
- राजस्थान के प्रथम दलित मुख्यमंत्री (अनुसूचित जाति के)- **जगन्नाथ पहाडिया**
- राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो उपराष्ट्रपति भी बने - **भैरोंसिंह शेखावत**
- राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे- **हीरालाल देवपुरा**
- राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो राज्य वित्त आयोग (दूसरा) के अध्यक्ष भी बने-

हीरालाल देवपुरा

एक से अधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति-

- श्री मोहनलाल सुखाड़िया (4 बार)
- श्री भैरोंसिंह शेखावत (3 बार)
- श्री हरिदेव जोशी (3 बार)
- श्री अशोक गहलोत (3 बार)
- श्रीमती वसुंधरा राजे (2 बार)
- श्री शिवचरण माथुर (2 बार)
- श्री जयनारायण व्यास (1 बार मनोनीत, 1 बार निर्वाचित)

राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो राज्यपाल भी रहे :-

- मोहनलाल सुखाड़िया- कर्नाटक, आन्ध्रप्रदेश, तमिलनाडु के राज्यपाल रहे ।
- हरिदेव जोशी- असम, मेघालय, पं . बंगाल के राज्यपाल रहे।

- लोकायुक्त संस्था बनाने वाला प्रथम राज्य महाराष्ट्र (वर्ष 1971)
- लोकायुक्त संस्था समाप्त करने वाला प्रथम राज्य भी उड़ीसा बना (वर्ष 1993 में समाप्त किया)
- वर्तमान में भारत के 26 राज्यों व केन्द्रशासित प्रदेश दिल्ली में लोकायुक्त संस्था है।

राजस्थान में लोकायुक्त

- वर्ष 1973 में राजस्थान लोकायुक्त तथा उपलोकायुक्त अध्यादेश पारित हुआ, जो 3 फरवरी, 1973 से राजस्थान में प्रभावी हुआ। इसे 26 मार्च, 1973 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो गई और तब से यह अधिनियम के रूप में प्रदेश में प्रभावी है।
- लोकायुक्त एक स्वतंत्र संस्थान है जिसका क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य है। यह राज्य सरकार का कोई विभाग नहीं है और नहीं इसके कार्य में सरकार का कोई हस्तक्षेप है।
- 28 अगस्त, 1973 को राजस्थान में प्रथम लोकायुक्त उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आई. डी. दुआ की नियुक्ति हुई।
- राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त आई. डी. दुआ व प्रथम तथा एकमात्र उप-लोकायुक्त के. पी.यू. मेनन बने।
- राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल वाले लोकायुक्त एम. बी. शर्मा तथा न्यूनतम कार्यकाल वाले लोकायुक्त वी. एस. दवे थे।
- लोकायुक्त एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक लोकायुक्त व 8 सदस्य होते हैं।
- **नियुक्ति**- लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है एक 3 सदस्यीय चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है।

चयन समिति में : 1. मुख्यमंत्री (अध्यक्ष) 2. विपक्ष का नेता 3. उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश

योग्यता :

1. न्यायिक पृष्ठभूमि से हो (उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो)
2. लाभ का पद धारण न करता हो।
3. संसद व विधानमण्डल का सदस्य ना हो।
4. राजनीतिक दल से जुड़ा ना हो।

NOTE- उपलोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल, लोकायुक्त के परामर्श से करता है।

NOTE- उपलोकायुक्त को सर्तकता आयुक्त का पद धारण करने के योग्य होना चाहिए।

वर्तमान में न्यायमूर्ति श्री प्रताप सिंह लोहरा राजस्थान राज्य के लोकायुक्त के पद पर पदासीन हैं।

शपथ : राज्यपाल द्वारा राज्यपाल द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा।

कार्यकाल : 5 वर्ष, लेकिन पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होता।

त्यागपत्र : राज्यपाल को

वार्षिक रिपोर्ट (प्रतिवेदन) : राज्यपाल को तथा राज्यपाल इसे विधानमण्डल के समक्ष रखवाता है।

वेतन - भत्ते : लोकायुक्त को वेतन - भत्ते, पेंशन आदि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान (2,50,000 रुपये) तथा उपलोकायुक्त को वेतन - भत्ते, पेंशन उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश के समान (2,25,000 रुपये) मिलता है।

इनके वेतन - भत्तों में नियुक्ति के बाद कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

पद से हटाना : राज्यपाल द्वारा उच्चतम न्यायालय की जाँच के बाद अर्थात् लोकायुक्त को राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 311 में वर्णित प्रावधानों के तहत **कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर** उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश (वर्तमान या सेवानिवृत्त) या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से करवाई गई जाँच में दोषी साबित हो जाने पर राज्य विधानमण्डल द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के बाद पद से हटा सकता है।

उपलोकायुक्त को हटाने हेतु जाँच उच्चतम न्यायालय के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश से करवाई जाएगी।

लोकायुक्त का क्षेत्राधिकार

- राज्य के समस्त मंत्री
- लोकसेवक, सचिव, विभागाध्यक्ष
- जिला प्रमुख, उपजिला प्रमुख, प्रधान, उपप्रधान, जिला परिषदों व पंचायत समितियों की स्थायी समितियों के अध्यक्ष
- नगर निगम के महापौर, उपमहापौर नगर पालिका, नगर परिषद, नगर विकास न्यासों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष
- राजकीय कंपनियों, स्थायी प्राधिकरण, राज्य निगम, मण्डल के अध्यक्ष, अधिकारी, कर्मचारी

लोकायुक्त के दायरे में नहीं आते

- राज्यपाल
- मुख्यमंत्री
- राज्य का महालेखाकार
- उच्च न्यायालय व जिला न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश, न्यायिक अधिकारी व कर्मचारी
- राज्य चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव अधिकारी, प्रदोशिक चुनाव आयुक्त
- राजस्थान लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य
- सेवानिवृत्त लोकसेवक पंच, सरपंच व विधायक

कार्य

- सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार, दुरुपयोग एवं अकर्मण्यता से सम्बन्धित परिवादों पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष अन्वेषणों के माध्यम से पीड़ित की व्यथा का निराकरण एवं आरोपी के विरुद्ध कार्यवाही की अनुशंसा करना है।
- अन्वेषणों में तत्परता एवं निष्पक्षता को बनाये रखना।

- अधिकार क्षेत्र में आने वाले संगठनों और विभागों में जवाब देही सुनिश्चित करना।
- अपने कार्य के निष्पादन में निपुणता को बनाये रखना।
- जन-जन की समस्याओं से स्वयं को सम्बद्ध रख लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना।
- राज्य सरकार द्वारा दिनांक 28.2.2014 को मौजूदा लोकायुक्त अधिनियम के प्रावधानों को संशोधित कर अधिनियम को सशक्त व प्रभावी बनाने के लिए महाधिवक्ता श्री नरपतमल लोढा की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है।

शिकायत कब की जा सकती है?

- ऊपर वर्णित लोक सेवकों द्वारा किसी को अनुचित हानिया कठिनाई पहुँचाने, अपने या अन्य किसी व्यक्ति के लिए अवैध लाभ प्राप्त करने हेतु लोक सेवक के रूप में अपनी पदीय स्थिति का दुरुपयोग करने व अपने कृत्यों का निर्वहन करने में व्यक्तिगत हित या भ्रष्ट अथवा अनुचित वस्तुओं से प्रेरित होने एवं लोक सेवक की हैसियत में भ्रष्टाचार या सच्चरित्रता की कमी का दोषी होने पर इनके विरुद्ध शिकायत की जा सकती है।
- पाँच वर्ष से अधिक पुराने मामले की शिकायत नहीं की जा सकती।

राज्य निर्वाचन आयोग

- 73 वें तथा 74 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत स्थानीय निकायों (पंचायतीराज एवं नगरीय संस्थाओं) में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने तथा चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने हेतु पंचायतीराज संस्थाओं हेतु - भाग -9, अनुच्छेद 243K (ट) नगरीय संस्थाओं हेतु - भाग -9 क, अनुच्छेद 243 2A (यक) में राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है।
- राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा -120 के तहत राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना का आदेश 17 जून, 1994 को तथा कार्य प्रारम्भ 1 जुलाई, 1994 से किया। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय जयपुर है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग 'एक सदस्यीय निकाय' है (राज्य निर्वाचन आयुक्त एकमात्र सदस्य)।

राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक व स्वतंत्र निकाय है।

- इसका एक सचिव है जो राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी है।
- आयोग निर्वाचक रोल तैयार करने और पंचायतीराज संस्थानों के लिए और साथ ही नगर निकायों के चुनावों के आयोजन के माध्यम से अपनी संवैधानिक कर्तव्यों को निर्वहन करता है।
- वर्ष 1960 के बाद से राजस्थान में पंचायतीराज संस्थानों (P.R.I.) के चुनाव का आयोजन किया जा रहा है।
- वर्ष 1960 में तथा इसके बाद वर्ष 1965, 1978, 1981 और 1988 में चुनावों को पंचायतीराज विभाग द्वारा आयोजित किया गया।

- पंचायतीराज के 6वें, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें और 11वें आम चुनाव क्रमशः वर्ष 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 और 2020 में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित किए गए थे।

NOTE- वर्ष 2020 तक पंचायतीराज के कुल 11 चुनाव हुए जिसमें से शुरुआत के 5 चुनाव पंचायतीराज विभाग द्वारा तथा अन्य 6 चुनाव राज्य चुनाव आयोग द्वारा करवाए गए हैं।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त

- राज्य निर्वाचन आयुक्त ही राज्य निर्वाचन आयोग का सर्वेसर्वा होता है।
- राज्य निर्वाचन आयुक्त ही राज्य की पंचायतीराज संस्थानों एवं शहरी निकाय के सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने के लिए उनका अधीक्षण, निर्देशन तथा संचालन करने के लिए उत्तरदायी होता है।
- राज्य का मुख्य चुनाव आयुक्त, भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) का अधिकारी होता है जो प्रधान या अपर मुख्य सचिव के समकक्ष पद का होता है।
- **नियुक्ति :** राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्य मंत्रिपरिषद् की सलाह से राज्यपाल करता है।
- **कार्यकाल :** राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पदग्रहण से 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है।
- **NOTE :** राजस्थान के प्रथम निर्वाचन आयुक्त अमरसिंह राठौड़ व द्वितीय निर्वाचन आयुक्त नेकराम भसीन के समय कार्यकाल 6 या 62 वर्ष था, लेकिन बाद में द्वितीय निर्वाचन आयुक्त नेकराम भसीन ने सरकार को प्रस्ताव भेजा कि इसे 5/65 वर्ष किया जाये अतः सरकार ने प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए तीसरे निर्वाचन आयुक्त इन्द्रजीत खन्ना के समय इसे लागू किया।
- **त्यागपत्र :** राज्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देता है।
- **पद से हटाने की प्रक्रिया :** राज्य निर्वाचन आयुक्त को पद से उसी प्रकार हटाया जाता है जिस प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है (संसद के द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर राष्ट्रपति द्वारा)।
- **सेवा शर्तें :** राज्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि और सेवा शर्तों, वेतन - भत्ते का निर्धारण राज्यपाल द्वारा विधानमण्डल के संबंधित अधिनियम के अधीन रहते हुए किया जाता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को वेतन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान मिलता है (2,25,000 रुपये)। पदावधि के दौरान राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
- **राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य**
 - (i) चुनाव चिन्हों का आबंटन व उससे संबंधी विवादों का निराकरण करना।

अध्याय - 3

विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित समितियाँ

विद्यालय प्रबंधन का अर्थ (स्कूल मैनेजमेंट क्या है?)

विद्यालय प्रबंधन का क्या अर्थ है? तब हम कह सकते हैं की "विद्यालय प्रबंधन से अभिप्राय है कि किसी भी संगठन या संस्था द्वारा अपने विकास व लक्ष्यों की पूर्ति के लिये योजना बनाना व उसका बेहतर क्रियान्वयन करना तथा उसके लिए सामूहिक रूप से सतत् प्रयास करना।"

विद्यालय प्रबंधन की परिभाषा

1. लूथर गुलिक के अनुसार " विद्यालय प्रबंधन सत्ता का औपचारिक ढाँचा है जिसके अंतर्गत निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिये विभागीय कार्यों को क्रमबद्ध रूप से विभाजन करना, परिभाषित करना तथा समन्वित करना सम्मिलित होता है"
2. हेरोल्ड कीजन के अनुसार "विद्यालय प्रबंधन मानवीय एवं भौतिक साधनों से प्राप्ति के लिये समन्वय करना है।

हेरोल्ड कीजन के अनुसार "विद्यालय प्रबंधन मानवीय एवं भौतिक साधनों से उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये समन्वय करना है।"

विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता

निर्धारित किये गए शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये समुचित विद्यालय प्रबंधन की अति आवश्यकता है। अगर प्रबंधन शिक्षण। अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी एवं दक्षतापूर्ण बनाना चाहता है तो वह मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का उचित प्रबंधन करे क्योंकि राष्ट्रीय विकास का आधार विद्यालय है। विद्यालय समाज का लघुरूप है। यही वह स्थान है जहाँ पर छात्रों के मानसिक विकास के साथ-साथ शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक और सांस्कृतिक विकास का होना भी आवश्यक है।

विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य

1. विद्यालय प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य विद्यालय के क्रिया कलापो को मॉनीटर करना
2. शिक्षा के आदर्शों एवं उद्देश्यों की जानकारी देना
3. विद्यालय के विकास के लिये योजनाओं का निर्माण करना
4. विद्यालय को चलने के लिए कुशल प्रशासन की व्यवस्था करना
5. विद्यालय में उपयोगी एवं व्यावहारिक फर्नीचर की व्यवस्था करना
6. शिक्षण कार्यों के लिए आवश्यक उपकरण जैसे- ब्लैक बोर्ड, चाक, श्रव्य- द्रश्य साधनों की व्यवस्था करना
7. विद्यालय में एक परिचालन कोष बनाना जिससे राज्यकीय सहायता से बेतन तथा अन्य आवश्यक व्यय को वहन किया जा सके

8. दानदाताओं से आर्थिक सहायता प्राप्त करना
9. विद्यालय को हर प्रकार की आलोचनाओं से सुरक्षित रखना
10. विद्यालय और समुदाय में स्वस्थ संबंध स्थापित करना
11. विद्यालय में पुस्तकालय की व्यवस्था करना
12. विद्यालय की वित्तीय- प्रबंधन को नियमानुसार चलाना
13. विद्यालय में होने वाले आय और व्यय का दैनिक हिसाब रखना
14. विद्यालय के मुख्याध्यापक के कार्यकाल के लिये आवश्यक उपकरणों का प्रबंधन करना

विद्यालय प्रबंधन के लक्षण

विद्यालय प्रबंधन के निम्नलिखित लक्षण हैं

1. व्यवहारिकता

प्रशासन संबंधी सभी कार्य व्यावहारिक होने चाहिये तथा विद्यालय के उद्देश्य, नीतियाँ, कार्य, नियम आदि सभी मानवीय तथा सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप होने चाहिये न की सैद्धान्तिक जिससे वे समाज के लिये वे उपयोगी हो सके।

2. विद्यालय प्रबंधन का स्वरूप

विद्यालय प्रबंधन का स्वरूप सदैव गतिशील होना चाहिये क्योंकि किसी भी राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक आधार पर विद्यालय प्रबंधन के स्वरूप की संरचना की जाती है। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक जैसे तत्वों में परिवर्तन होने पर प्रशासन में परिवर्तन होता रहा है।

3. विद्यालय प्रबंधन की प्रगति

विद्यालय प्रबंधन की प्रगति हमेशा गतिशील तथा नियंत्रित होती है क्योंकि विद्यालय प्रबंधन के अन्तर्गत कार्य की प्रकृति यांत्रिक तथा स्वचालित न होकर कार्यशील एवं नियंत्रित होती है।

4. विद्यालय प्रबंधन की प्रक्रिया

विद्यालय प्रबंधन एक मानवीय प्रक्रिया है। जो सामाजिक, राजनैतिक, मनोवैज्ञानिक तथा दार्शनिक आदि परिस्थितियों में प्रभावित होती है तथा विद्यालय प्रबंधन की रचना उसके मानवीय तत्वों के द्वारा होती है जिसमें मौलिक तत्वों को उन्हीं के अनुरूप लिया जाता है।

5. निति तथा कार्यक्रम निर्धारण

निति तथा कार्यक्रम निर्धारण करने में विद्यालय प्रबंधन के द्वारा शैक्षिक नीतियों तथा कार्यक्रम में सभी व्यक्तियों का सहयोग किया जाना चाहिये जिससे प्रशासन में जनतन्त्रिय कार्य व्यवस्था विकसित होती है।

विद्यालय प्रबंधन की विशेषताएँ

1. विद्यालय प्रबंधन विद्यालय की एक शाखा के रूप में विकसित हो रहा है
2. विद्यालय प्रबंधन के सिद्धांत तथा व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है

3. प्रबंधन व कार्य से जुड़े हुए सभी लोगों में सहयोग की भावना होनी चाहिए
4. सामाजिक हितों पर बल देना
5. अच्छे प्रबंधन से मानवीय संसाधन, शैक्षिक सुविधाएँ जुटाने एवं वातावरण के निर्माण में सहयोग मिलना।

विद्यालय प्रबंधन के घटक

विद्यालय प्रबंधन की निम्न घटक होते हैं
 नियोजन, प्रशासन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण

विद्यालय प्रबंधन की अवधारणा

विद्यालय प्रबंधन की अवधारणा के अन्तर्गत सर्वप्रथम 'प्रबंधन' तथा 'स्वामित्व' को एक ही अर्थ में प्रयुक्त करते थे परन्तु आज यह भिन्न है। इसकी अवधारणा विद्यालय तरह है

1. प्रबंधन एक विकास का साधन तथा अधिकार तंत्र है।
2. प्रबंधन एक कला तथा विज्ञान है।
3. प्रबंधन एक विकास का साधन है।
4. प्रबंधन एक अधिकार तंत्र है।
5. प्रबंधन कार्य कराने की सार्वभौमिक प्रक्रिया है।
6. प्रबंधन संगठित समूह से कार्य कराने का एक तंत्र है।
7. प्रबंधन एक व्यवसाय है और इसकी अपनी आचार्य संहिता है।
8. प्रबंधन पर्यावरण की गुडवत्ता बनाये रखने का कार्य है।

विद्यालय प्रबंधन का महत्व

- विद्यालय को गतिशील रखने के लिए विद्यालय प्रबंधन एक इंजन की भूमिका निभाता है जिस प्रकार बिना इंजन के मोटरसाइकिल, कार, बस आदि को नहीं संचालित किया जा सकता है ठीक उसी तरह बिना उचित प्रबंधन के विद्यालय का संचालन करना असंभव है।
- विद्यालय एक सामाजिक संस्था है और इसे एक विशेष दायित्व का निर्वाह करना पड़ता है यही वह स्थान है जहाँ पर विद्यार्थी समाज के सदस्यों के रूप में शिक्षा ग्रहण करते हैं। इस तरह विद्यालय का प्रमुख केन्द्र विद्यार्थी हैं। वर्तमान में विद्यालयों में छात्रों की संख्या निरंतर बढ़ रही है जिससे विद्यालय प्रबंधन की समस्या अधिक व्यापक और जटिल हो रही है जिस कारण विद्यालय क्षेत्रों का विस्तार किया जा रहा है तथा नयी-नयी विधियों, प्रविधियों तथा मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को पद्य सामग्री में स्थान दिया जा रहा है।
- विद्यार्थियों के बहुमुखी विकास के लिये विद्यालय में योग्य अध्यापक, उपयुक्त भवन, खेल कूद की उचित व्यवस्था, उचित पाठ्य सामग्री आदि का उचित प्रबंध हो रहा है वही माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के विद्यालयों में बुद्धि तथा योग्यता परीक्षाओं को निरंतर बढ़ावा दिया जा रहा है। जिससे विद्यालयों की समाज तथा राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्वों में लगातार वृद्धि होती जा रही है। जिससे विद्यालय प्रबंधन का महत्व बढ़ता ही जा रहा है।

विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र के घटक

विद्यालय प्रबंधन क्षेत्र का अध्ययन 4 घटकों में किया जाता है।

1. नियोजन के कार्यक्रम (Programme Planning)
2. शिक्षा विकास का लक्ष्य (Goal Development)
3. कार्यक्रमों की व्यवस्था करना Organization)
4. प्रबंधन के कार्यों का आकलन करना (Assessment)

विद्यालय प्रबंधन समिति

विद्यालय प्रबंधन समिति (एस.एम.सी.) का गठन निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-21 ए राज्य नियम, 2011 के नियम 3 एवं 4 के अनुसार विद्यालय में समुदाय की सहभागिता व स्वामित्व बढ़ाने के लिए किया गया है। विद्यालय प्रबंधन समिति के दो भाग होते हैं,

1. साधारण सभा
2. कार्यकारिणी समिति।

साधारण सभा- साधारण सभा में विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक विद्यार्थी के माता-पिता/संरक्षक, समस्त अध्यापक, संबंधित कार्यक्षेत्र में निवास करने वाले सभी जनप्रतिनिधि एवं समिति की कार्यकारिणी समिति में निर्वाचित/मनोनीत शेष सदस्य होते हैं।

साधारण सभा के सदस्य

1. सम्बन्धित विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक विद्यार्थी / बालक के माता-पिता या संरक्षक (माता एवं पिता दोनों के जीवित न होने की स्थिति में संरक्षक)
2. सम्बन्धित विद्यालय का प्रत्येक अध्यापक / प्रबोधक।
3. सम्बन्धित कार्य क्षेत्र में निवास करने वाले जिला प्रमुख / प्रधान / सरपंच / नगर पालिका अध्यक्ष।
4. सम्बन्धित कार्य क्षेत्र में निवास करने वाले समस्त जिला परिषद
5. समिति की कार्यकारिणी समिति में निर्वाचित/मनोनीत शेष सदस्य जो उपरोक्त में शामिल नहीं हो।

विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन

विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन निम्न प्रकार किया जाता है।

1. **विद्यालय प्रबंधन समिति का अध्यक्ष-** 11 सदस्यों में से कार्यकारिणी समिति के सदस्यों द्वारा निर्वाचित
2. **उपाध्यक्ष-** समिति साधारण सभा द्वारा उसके माता पिता या संरक्षक सदस्यों में से
3. **निर्वाचित सदस्य-** कुल 11 सदस्य जिनमें कम से कम 6 महिलाएँ, एक अनुसूचित जाति तथा एक अनुसूचित जनजाति का
4. **पदेन सदस्य-** इसकी संख्या 1 होती है जो ग्राम पंचायत अथवा नगर पालिका के जिस वार्ड में विद्यालय स्थित है उस वार्ड का वार्ड पंच या पार्षद
5. **पदेन सदस्य सचिव-** संख्या 1 होती है। जो प्रधानाध्यापक होता है। प्रधानाध्यापक के न होने वरिष्ठ अध्यापक बनता है।

प्रिय दोस्तों, अब तक हमारे नोट्स में से विभिन्न परीक्षाओं में आये हुए प्रश्नों के परिणाम देखने के लिए क्लिक करें -  **(Proof Video Link)**

RAS PRE. 2021 - <https://shorturl.at/qBJ18> (74 प्रश्न, 150 में से)

RAS Pre 2023 - <https://shorturl.at/tGHRT> (96 प्रश्न, 150 में से)

UP Police Constable 2024 - <http://surl.li/rbfyn> (98 प्रश्न, 150 में से)

Rajasthan CET Gradu. Level - <https://youtu.be/gPqDNlc6UR0>

Rajasthan CET 12th Level - <https://youtu.be/oCa-CoTFu4A>

RPSC EO / RO - <https://youtu.be/b9PKjl4nSxE>

VDO PRE. - <https://www.youtube.com/watch?v=gXdAk856Wl8&t=202s>

Patwari - <https://www.youtube.com/watch?v=X6mKGdtXyu4&t=2s>

PTI 3rd grade - https://www.youtube.com/watch?v=iA_MemKKgEk&t=5s

SSC GD - 2021 - <https://youtu.be/2gz2fJyt6vI>

EXAM (परीक्षा)	DATE	हमारे नोट्स में से आये हुए प्रश्नों की संख्या
MPPSC Prelims 2023	17 दिसम्बर	63 प्रश्न (100 में से)
RAS PRE. 2021	27 अक्टूबर	74 प्रश्न आये
RAS Mains 2021	October 2021	52% प्रश्न आये

whatsapp - <https://wa.link/ny6pbb> 1 **web.** - <https://shorturl.at/livKO>

RAS Pre. 2023	01 अक्टूबर 2023	96 प्रश्न (150 में से)
SSC GD 2021	16 नवम्बर	68 (100 में से)
SSC GD 2021	08 दिसम्बर	67 (100 में से)
RPSC EO/RO	14 मई (1st Shift)	95 (120 में से)
राजस्थान S.I. 2021	14 सितम्बर	119 (200 में से)
राजस्थान S.I. 2021	15 सितम्बर	126 (200 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्तूबर (1st शिफ्ट)	79 (150 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्तूबर (2 nd शिफ्ट)	103 (150 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	24 अक्तूबर (2 nd शिफ्ट)	91 (150 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसंबर (1 st शिफ्ट)	59 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसंबर (2 nd शिफ्ट)	61 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	28 दिसंबर (2 nd शिफ्ट)	57 (100 में से)
U.P. SI 2021	14 नवम्बर 2021 1 st शिफ्ट	91 (160 में से)
U.P. SI 2021	21 नवम्बर 2021 (1 st शिफ्ट)	89 (160 में से)
Raj. CET Graduation level	07 January 2023 (1 st शिफ्ट)	96 (150 में से)
Raj. CET 12th level	04 February 2023 (1 st शिफ्ट)	98 (150 में से)
UP Police Constable	17 February 2024 (1 st शिफ्ट)	98 (150 में से)

& Many More Exams like UPSC, SSC, Bank Etc.

whatsapp - <https://wa.link/ny6pbb> 2 web.- <https://shorturl.at/livKO>